

ऑनलाइन पार्ट-1 हेतु चेक लिस्ट/विषय सूची

ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख		
क्र.सं.	अभिलेख का नाम	टिक काटस (✓/X)
1	ऑनलाइन पार्ट-1 में भरने वाली आवश्यक सूचनाये	✓
2	पावर आफ एटर्नी/अथोरिटी पत्र	✓
3	प्रस्तावित वन भूमि की 00एम0एल0 फाईल	✓
4	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50,000 माप का सत्यापित सर्वे आफ इन्डिया का रंगीन टोपोग्राफी डिस्टेंस परियोजना क्षेत्र के आस-पास वन क्षेत्र का शीमांकन वन ब्लॉक, कम्पार्टमेंटवार दर्शित किया गया हो। वैकल्पिक संरेखण, इन्डिक्स एवं शीट्स सहित	✓
5	प्रस्तावित वन भूमि का स्थान अधिकारी द्वारा सत्यापित जियो रेफरेंस मैप	✓
6	प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का अभिलेख प्रमाण पत्र/जस्टीफिकेशन	✓
7	तीन वैकल्पिक कटस का मैप	X
8	लागत ताम विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र	X
9	वन अधिकार अधिनियम-2008 के प्राक्कानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/वचनबद्धता	✓
10	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वन भूमि की 00एम0एल0 फाईल	X
11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वन भूमि का सत्यापित व चिन्हित 1:50,000 माप का रंगीन सर्वे आफ इन्डिया का टोपोग्राफी	X
12	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दी जाने वाली गैर वन भूमि का सत्यापित जियो रेफरेंस मैप	X
ऑनलाइन पार्ट-1 के एडीशनल इन्फोरमेशन डिटेल्स में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख		
1	यदि प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हो तो प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता	X
2	यदि प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हो तो लीज अवधि प्रमाण पत्र	X
3	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता एवं विवरण	X
4	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित वन भूमि की गणना	✓
5	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश	✓
6	वन विभाग 0000 शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण पत्र	✓
7	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता	✓
8	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता	✓
9	प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0टी0 में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता	✓
10	भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र	✓
11	भूमि स्वामित्व वाले विभाग द्वारा लेआउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाईड लाइन दिनांक 24-07-2013 के अनुसार अनुमोदन	✓
12	रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है उस भूमि की मूल खतांनी सम्बन्धित अधिकारी सत्यापित सहित	✓
13	प्रमुख वन संरक्षक, 0000 लेखनक के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस दिनांक 11-11-2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	✓
14	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र	✓
15	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित वन प्रमाणित छायाप्रति	✓
16	परियोजना से 10 कि0मी0 परिधि से सम्बन्धित कोई सेन्सुटी/वन्य जीव विहार होने/न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	✓
17	मत्स्य उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan (भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में)	✓
18	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	✓
19	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साईड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र	X
20	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी से ई0टी0टी0 की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र	✓
21	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों का पालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र	✓
22	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन (लैनिंग प्लान) दिया जाय, जिसमें वर्तमान आर0ओ0डब्लू0 तथा प्रस्तावित आर0ओ0डब्लू0 की माप दर्शाया गया हो तथा तात्कालिक स्वरूप में सड़क के किनारे अवशेष भूमि की उपलब्धता का विस्तृत विवरण	X

प्रस्ताव की हार्डकॉपी एवं ऑनलाइन पार्ट-2 हेतु चेक लिस्ट/विषय सूची

ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख			
क्र.सं.	अभिलेख का नाम	टिक बाक्स (✓/X)	पृष्ठ संख्या
1	ऑनलाइन पार्ट-2 में भरने वाली आवश्यक सूचनायें	✓	51-53
2	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 एस0एच0पी0 फाईल एवं अन्य विवरण	✓	Page 11
3	प्रभावित संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि/समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुसंधान सहित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन/रिटेल आउटलेट के प्रकारों में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्राक्कलन	✓	54-57
4	क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिह्नित 1:50000 माप का एस0ओ0आई0 रंगीन टोपोग्राफी	✓	58-59
5	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी	✓	60
6	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संस्तुति	✓	61
7	वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति	✓	62-63
ऑनलाइन पार्ट-2 के एडीशनल इन्फोरमेशन डिटेल में अपलोड किये जाने वाले अभिलेख एवं उपरोक्त अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न किये जाने वाले अभिलेख			
1	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाइन पार्ट-1 एवं उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के समस्त सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख	X	-
2	याचक विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र	✓	64
3	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि के सम्बन्ध में शासन का पत्रांक-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक 28-06-2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी/ वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र	X	-
4	पातन होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यास वर्गवार सूची सहित, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो	✓	65
5	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यास वर्गवार सहित सूची	X	-
6	नोडल अधिकारी के पत्रांक-343/11सी दिनांक 14-08-2020 द्वारा वांछित प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी /वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र	✓	66
7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का वांछित डी0एस0एस0 एनालाइसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो	X	-
8	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे होने मुख्यतः औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक अनुसंधान सहित प्राक्कलन	X	-
9	इको क्लास के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त एन0पी0वी0 की गणना	✓	67
10	भारत सरकार के पत्रांक-एफ0एन0-11-268/2014-एफ0सी0, दिनांक 11-07-2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण पत्र	✓	68
11	मुख्य वन जीव प्रतिपालक की संस्तुति	X	-
12	क्रमानुसार अंकित पृष्ठ संख्या के साथ पूर्ण पृष्ठ तालिका की सूची	X	-
13	ऑनलाइन डाटा इन्ट्री का एक्सीलिजमेन्ट स्लिप/टाईमलाइन डिटेल	✓	69
14	भाग-5, वैकल्पिक भूमि, मूल्य, टास्क फोर्स, निर्धारित शर्तें, वन भूमि की गणना, परियोजना से लाभान्वित प्रमाण पत्र, बाधक वृक्षों का फोटो, वनबद्धता 18-03-2010, फायर एन0ओ0सी0,पी0ई0एस0ओ0 लेंटर	✓	70-82

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

- (i). Proposed No. : FP/UP/Approach/153459/2022
- (ii). Name of Project for which Forest Land is required : Proposed HPCL Retail Outlet on Delhi-Bareilly-Lucknow Road NH-24 (City Road) In Km. No. 163 (CH. No. 162.863, LHS) At Gata No-112Mi, 113Mi & 114/1Mi, Village:- Mustafabad Mustakam, Tehsil:- Moradabad, Dist: Moradabad
- (iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposed Protected Forest Land to be Diverted for Entry/Exit approach to HPCL Retail Outlet on Delhi-Bareilly-Lucknow Road NH-24 (City Road) In Km. No. 163 (CH. No. 162.863, LHS) At Gata No-112Mi, 113Mi & 114/1Mi, Village:- Mustafabad Mustakam, Tehsil:- Moradabad, District:- Moradabad
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). Category of the Proposal : Approach Access
- (vi). Stage of forest land proposed to be diverted : Non Linear
- (vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 40
- (viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 0.065918
- (ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 0.0521
- (x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 30

A-2. Details of User Agency

- (i). Name : HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
- (ii). Address1 : VEDVYASPURI, PARTAPUR, MEERUT 250103
- (iii). Address2 : VEDVYASPURI, PARTAPUR, MEERUT 250103
- (iv). State : Uttar Pradesh
- (v). District : Meerut
- (vi). Pin : 250103
- (vii). Landmark : NIL
- (viii). Email address : subodh@hpc.co.in
- (ix). Landline Telephone No. : 121-2967426
- (x). Fax No. : NIL
- (xi). Mobile No. : 9411070220
- (xii). Website (if any) : NIL
- (xiii). Legal status of User Agency : Central PSU

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: NITIN
- (ii). Middle Name: NIL
- (iii). Last Name: SRIVASTAVA
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: DGM
- (vi). Address 1: VEDVYASPURI, PARTAPUR, MEERUT 250103
- (vii). Address 2: VEDVYASPURI, PARTAPUR, MEERUT 250103
- (viii). State: Uttar Pradesh
- (ix). District: Meerut
- (x). Tehsil: Meerut
- (xi). Pin: 250103
- (xii). Landmark: NIL
- (xiii). Email Address: subodh@hpc.co.in
- (xiv). Landline Telephone No.: 121-2967426
- (xv). Fax No.: 01212440823
- (xvi). Mobile No.: 9411070220


नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायाधीश
Chief Regional Manager & Duty Constable, Assured
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रेटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(viii) Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: _____

B. Details of land required for the Project

iii. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted In Past						
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval
1	Approved	PP/UP/OTHERS/15613/2015	P3/14-2-2016-800(P3)2016	0.06222	0.06222	18 Feb 2016
Total				0.06222	0.06222	25 Jun 2016

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions Involved

Details of Divisions Involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Social Forestry Division Morebad	0.069918	0.0521
	Total	0.069918	0.0521

B.2.2 Detail of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Noradabad	0.065918	0.0521
Total		0.065918	0.0521

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Mustafabad Mustakam	0.065918	0.0521
Total		0.065918	0.0521

B-2.4 Component wise breaking

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Exit/Entry Approach to Retail Outlet	0.069918	0.0521
	Total	0.069918	0.0521

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1 : Social Forestry Division Moradabad

(i). Area of forest land proposed to be diverted [in ha.] : 0.065918

(ii). Nature of the Project: Non Linear

(iii). No. of patches : 002

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch (in ha.)	Kml File of Patches To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.
1.	0.065918	 View File


 जय प्रकाश
 Chief Regional
 Engineer
 Moradabad

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:

map

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using

GPS or Total Station:

map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: **E. Employment likely to be generated**

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 500

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Not Applicable

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: Not Applicable

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		AREA CALCULATION
2		UNDERTAKING FOR ETT
3		FOREST NOTIFICATION
4		UNDERTAKING FOR FRA
5		KHATAUNE
6		LAND SCHEDULE
7		APPROVE LAYOUT PLAN
8		LEASE DEED
9		LOI


 Chief Executive Officer
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 Government of India
 New Delhi-110003
 11/06/2022 15:02:23
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 Government of India
 New Delhi-110003

10		UNDERTAKING FOR MINIMUM TREE FELLING
11		MUCK DISPOSAL PLAN
12		FIRE NOC
13		POLLUTION NOC
14		PWD NOC
15		UNDERTAKING FOR NPV
16		STANDARD CONDITIONS
17		WAKALPIK VAN BHOOKE CERTIFICATE
18		UNDERTAKING FOR VANYA JEEV VIHAR
19		UNDERTAKING FOR NOT START WORK BEFORE APPROVAL

Print page


 राकेश श्रीवास्तव
 Rakesh Shrivastava
 Manager & Duty Constituted Attorney
 Hindustan Petroleum Corporation Limited
 Central Retail Regional Office

Scanned with CamScanner

[illegible]

AND WHEREAS in exercise of the power of appointing a substitute or substitutes given to me by the said Power of Attorney, I, the said RAKESH MISRI, am desirous of appointing SHRI NITIN SHRIVASTAVA, CHIEF REGIONAL MANAGER - RETAIL, MEERUT RETAIL REGIONAL OFFICE of the Company to be my Attorney and as the Attorney of the Company:

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT in exercise of the powers given to me by the said Power of Attorney, I, the said, RAKESH MISRI, hereby nominate, constitute and appoint SHRI NITIN SHRIVASTAVA, CHIEF REGIONAL MANAGER - RETAIL, MEERUT RETAIL REGIONAL OFFICE as my Attorney and as the Attorney of the said Company in the Republic of India with full power and authority to do, execute and perform all or any of the following acts, deeds, matters and things :

1. to enter into and execute contracts for the sale of such merchandise as is dealt in by the said Company upon such terms as shall from time to time be stipulated;
2. to ask, demand, levy, require, recover, receive and issue receipt for all such sums of money, debts, dues and demands whatsoever now or hereafter due owing or payable to the said Company from any person or persons;
- 3 (i) to institute, prosecute and defend Suits and other proceedings, to be present in the Courts as Plaintiff and Defendant, to sign and verify Plaints, Written Statements, Applications and Affidavits;
- (ii) to appoint Advocates and to act for and on behalf of the Company in such Suits and to do any and all lawful things necessary or proper for any such prosecution or defence;
- (iii) to cause any judgment, decree or order in favour of the Company to be executed;
- (iv) to comply with or Appeal from any judgment, decree or order adverse to the Company.

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक चानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

Page 2 of 4

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त अधिवक्ता
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

4. to enter into and become party to and to sign and execute all applications, deeds, assurances, instruments, agreements, contracts, receipts, indemnities, counter indemnities, letters of subrogation and all other documents or writing on behalf of the Company except: (a) those required to be executed under its common seal and (b) which are otherwise provided for in the Articles of Association of the Company;
5. to sign any or all documents which are required by the Central Excise/Customs/ Port/Railways/Central or State Government(s) or Corporation(s) and/or any other lawful authority and/or other parties on behalf of the Company;
6. to become party to, sign, execute and present for registration and admit execution before any Registrar or Sub-Registrar of Assurances and to do every act, matter or thing necessary or proper to enable registration on behalf of the Company of all deeds, assurances, instruments, contracts, agreements, receipts and all other documents whatsoever;
7. from time to time to appoint any person or persons by issuance of Specific Power of Attorney to act under or in the place of the said Attorney to present for registration and admit execution of Lease Deed(s)/Lease Agreement(s) before any Registrar or Sub-Registrar of Assurances on behalf of the Attorney and to revoke such appointment at pleasure.

AND IN GENERAL to do all other acts, deeds, matters, things whatsoever in or about the conduct, management and administration of the business of the Company and all the affairs relating thereto, which in the opinion of the said Attorney ought to be done or be executed or performed by the Company individually or jointly with any person or persons in or about the premises aforesaid as fully and effectually to all intents and purposes as the Company itself could do.

AND THE COMPANY hereby ratifies and confirms and agrees at all times to ratify and confirm all and whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done in or about the premises aforesaid by virtue of these presents.


(हस्ताक्षर)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वित्तिकी प्रमाण
मुसदाबाद


Page 3 of 4
नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त पंडित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेसूर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Mysuru Retail Regional Office

THIS Power of Attorney shall automatically stand revoked and cancelled in the event of SHRI NITIN SHRIVASTAVA ceasing to be in position stated hereinabove due to reassignment, transfer, promotion, resignation or any other reasons whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF RAKESH MISRI, DIRECTOR (MARKETING) OF HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED, being duly authorised to do so has hereunto set his hand this 17th day of July Two Thousand Twenty.

SIGNED AND DELIVERED by the
Withinnamed RAKESH MISRI,
DIRECTOR (MARKETING)

Maria Pereira

in the presence of

BEFORE ME

Bidhu Panicker
BIDHU PANICKER
B.Com., LL.B.
ADVOCATE HIGH COURT
NOTARY (Govt. of India)
Res: 333, Sandeep Apt., Plot No. A/197,
Sector-20, Near Balaji Temple,
Herald (W), Navi Mumbai, Maharashtra.

Notary Reg. Sr. No. 2341/2020
In Book No. II

17 JUL 2020

CL
C 6229
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वित्तिकी प्रभाग
मुंबई

Page 4 of 4

Nitin Shrivastava
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलेम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

Proposed Toposheet, Geo Map, Kml
and

C.A Toposheet, Geo Map, Kml
+

Pen Drive (Pdf File)



No. H44S13
Scale 1:50,000

LEGEND

Water	Blue
Forest	Green
Settlements	Yellow
Transportation	Black
Boundaries	Red

NOTES

1. This map is for reference only and should not be used for any legal purpose.

2. The map is not to be used for any purpose other than that for which it was prepared.

सूचना

यह नक्शा केवल सूचना के लिए है और इसे किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए।

श्रीमती

यह नक्शा केवल श्रीमती के लिए है और इसे किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए।

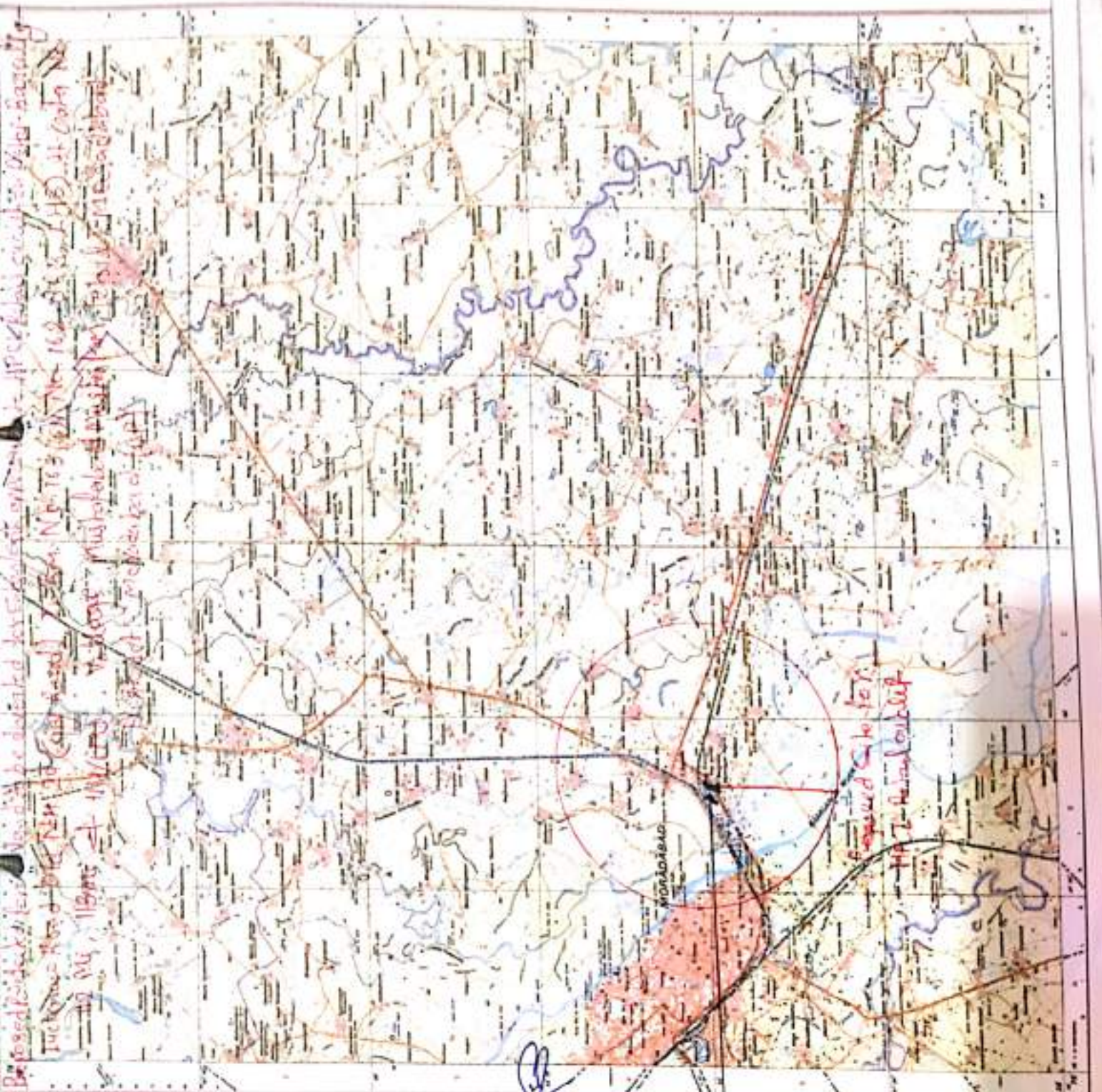
महाराष्ट्र

यह नक्शा केवल महाराष्ट्र के लिए है और इसे किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए।

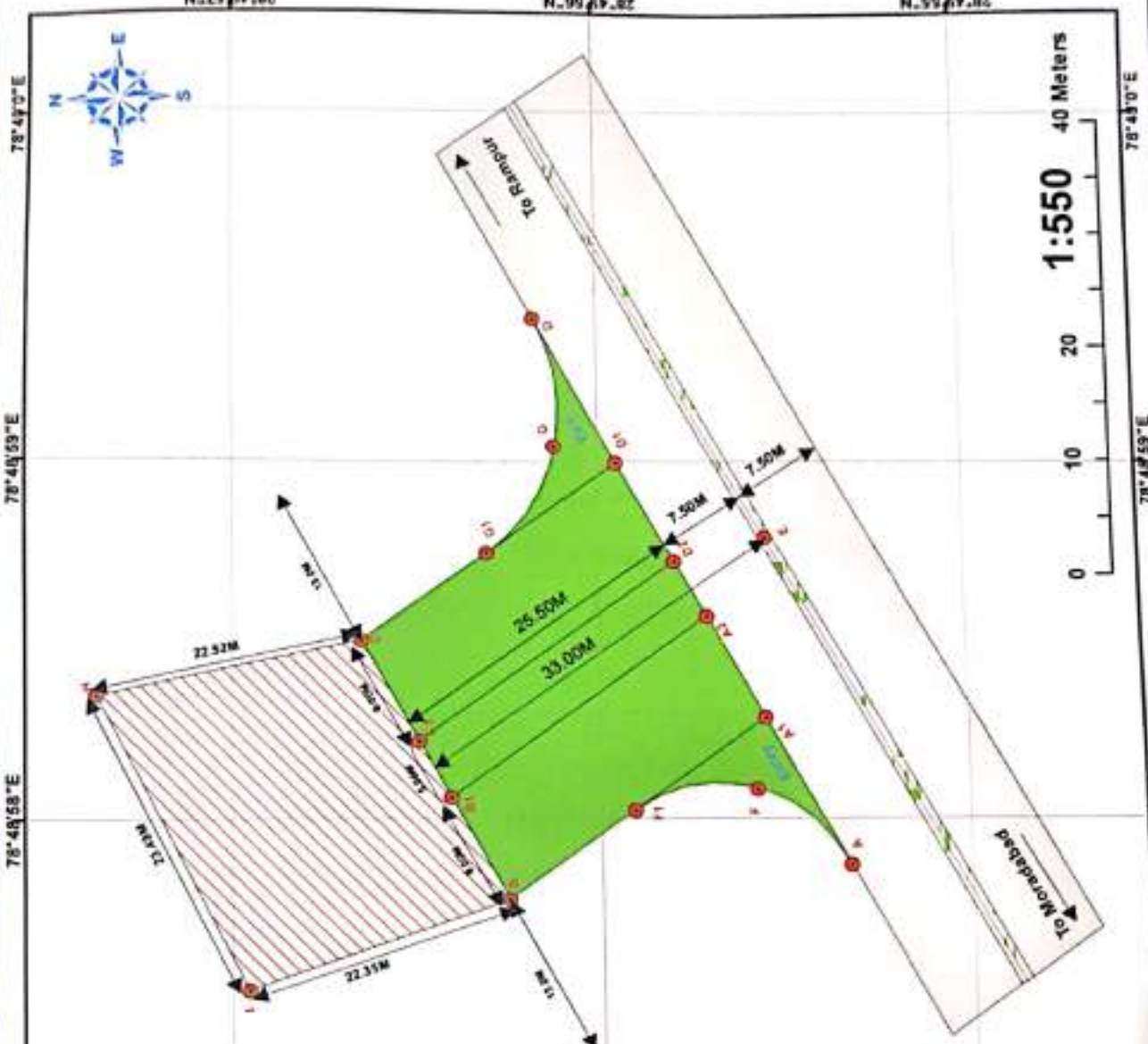
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं दायित्व प्रमुख
Chief Regional Manager & Duty Constable

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेरुट रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



GEOREFERENCED MAP OF PROPOSED PROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR EN-2/RY / EXIT APPROACH TO HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET ON DELHI-BAREILLY-LUCKNOW ROAD OLD NH-24 (CITY ROAD) IN KM. NO. 163 (CH. NO. 162.863, LHS) AT GATA NO-112MI, 113MI & 114/1MI, VILLAGE:- MUSTAFABAD MUSTAKAM, TEHSIL:-MORADABAD (UTTAR PRADESH)



क्षेत्रीय कर्म अधिकारी
मुरादाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक गानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

मिनि श्रिवास्तव
Minin Shrivastava
Manager & Duty Constable Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Area Office, Delhi Region
Chief Regional Office

GPS Coordinate		
S.No.	Longitude	Latitude
A	78° 48' 57.872" E	28° 49' 55.330" N
A1	78° 48' 58.278" E	28° 49' 55.554" N
A2	78° 48' 58.560" E	28° 49' 55.710" N
B	78° 48' 57.778" E	28° 49' 56.256" N
B1	78° 48' 58.060" E	28° 49' 56.411" N
C	78° 48' 58.497" E	28° 49' 56.653" N
C1	78° 48' 58.216" E	28° 49' 56.498" N
D	78° 48' 59.403" E	28° 49' 56.176" N
D1	78° 48' 58.997" E	28° 49' 55.952" N
D2	78° 48' 58.716" E	28° 49' 55.796" N
E	78° 48' 58.784" E	28° 49' 55.547" N
F	78° 48' 58.080" E	28° 49' 55.579" N
F1	78° 48' 58.024" E	28° 49' 55.912" N
G	78° 48' 59.045" E	28° 49' 56.321" N
G1	78° 48' 58.742" E	28° 49' 56.309" N
H	78° 48' 58.343" E	28° 49' 57.373" N
I	78° 48' 57.533" E	28° 49' 56.952" N

Legend

- GPS Coordinates
- Road Center Line
- ▨ Retailout Private Land
- ▤ Road
- ▥ Road Divider
- ▦ Proposed Protected Forest Land To Be Diverted

Project Site Location Justification

Note

Proposed Protected Forest Land to be diverted for Entry/Exit approach to **Hindustan Petroleum Corporation Limited** Retail Outlet on **Delhi - Bareilly - Lucknow Road (NH-24) (City Road)**, in **Km. No. 163.0** (CH. No. 162.863, LHS) at **Gata No.- 112Mi, 113Mi & 114/1 Mi**, **Village:-** Mustafabad Mustakam, **Tehsil:-** Moradabad, **District:-** Moradabad (U.P.). Required Protected forest land for approach to exit/entry and middle of proposed HPCL retail outlet is **0.065918 Hectare**. It is minimum required area and there is no alternative of this protected forest land.


(प्रभु)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


(Authorized Signatory)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Meerut Retail Regional Office


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

निखिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत प्रतिष्ठित न्यायाधी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

FORM-I

(for Plantation on non-Forest land and notified as "protected Forest" on or after 13th December 1930 and Located in Villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector/Magistrate Moradabad

No. 676/141

Dated 7.09.2022

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 [as amended vide the forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second amendment Rules 2014, and forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.065918 hectares of Protected forest land proposed to be diverted (Only for "right to use" without any change in ownership and legal status of the forest land) in favour of HPCL, Meerut, "for Approach Road (Exit/Entry) of Petrol Pump Gata No. 112 Mi, 113 Mi & 114/1 Mi, Village Mustafabad, Delhi-Bareilly-Lucknow road (Old NH-24) City Road between Km 162-163 on Left side in the State of Uttar Pradesh" in Moradabad district falls within jurisdiction of PWD Moradabad, village Mustafabad in Moradabad tehsile having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- The Protected Forest(s) namely Delhi-Bareilly-Lucknow road (Old NH-24) City road involved in the above villages are Plantation raised on non-Forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification No 3208/XIV dated 23-08-1955;
- Therefore, these PFs neither have residing Scheduled tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more then 75 years) having rights recognized under forest Right Acts, 2006.

Encl: Notification


(Suraj)
Divisional Director,
Social Forestry Division,
Moradabad


(Shailendra Kumar Singh)
District Collector,
Moradabad

Area Calculation Sheet as per Approved Layout Plan

PROPOSED PROTECTED FOREST LAND TO BE DIVERTED FOR ENTRY/EXIT APPROACH TO HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET ON DELHI - BAREILLY - LUCKNOW ROAD (NH-24) (CITY ROAD) IN KM. NO. 163.0 (CH. NO. 162.863, LHS) AT GATA NO.- 112MI, 113MI & 114/1 MI, VILLAGE:- MUSTAFABAD MUSTAKAM, TEHSIL:- MORADABAD, DISTRICT:- MORADABAD (U.P.)



Area of Entry approach to retail outlet

= Area of Curve Polygon(A B2 A1) + Area of rectangle (B B1 A2 A1)

Area of Curve Polygon(A B2 A1)

$$= \{ (r_1 \times r_2) - (\pi \times r_1 \times r_2) / 4 \}$$

$$= \{ (13.0\text{m} \times 13.0\text{m}) - (3.14 \times 13.0 \times 13.0 / 4) \}$$

$$= (169.0 - 132.665) \text{ SqM}$$

$$= 36.34 \text{ SqM}$$

Area of rectangle (B B1 A2 A1)

$$= \{ \text{Length(m)} \times \text{width(m)} \}$$

$$= (9.00\text{m} \times 25.50\text{m})$$

$$= 229.5 \text{ SqM}$$

So, Area of Entry approach to retail outlet = (36.34 + 229.5) SqM = 265.84 SqM

Area of Separator = Area of rectangle (B1 C1 D2 A2)

Area of rectangle (B1 C1 D2 A2)

$$= \{ \text{Length(m)} \times \text{width(m)} \}$$

$$= (5.00\text{m} \times 25.50\text{m}) \text{ SqM}$$

$$= 127.50 \text{ SqM}$$

Area of Exit approach from retail outlet

= Area of Curve Polygon(C2 D D1) + Area of rectangle (C C1 D2 D1)

Area of Curve Polygon(C2 D D1)

$$= \{ (r_1 \times r_2) - (\pi \times r_1 \times r_2) / 4 \}$$

$$= \{ (13.0\text{m} \times 13.0\text{m}) - (3.14 \times 13.0 \times 13.0 / 4) \}$$

$$= (169.0 - 132.665) \text{ SqM}$$

$$= 36.34 \text{ SqM}$$

Area of rectangle (C C1 D2 D1)

$$= \{ \text{Length(m)} \times \text{width(m)} \}$$

$$= (9.00\text{m} \times 25.50\text{m})$$

$$= 229.5 \text{ SqM}$$

So, Area of Exit approach from retail outlet = (36.34 + 229.5) SqM = 265.84 SqM

Total Proposed Protected Forest Area for Diversion

$$= 265.84 \text{ SqM (Entry)} + 127.50 \text{ SqM (Forest Area B/W Entry \& Exit)} + 265.84 \text{ SqM (Exit)}$$

$$= 659.18 \text{ Sqm}$$

$$= 0.065918 \text{ Ha.}$$

Non-Forest Land/Private Land Area as per Layout Plan

= Retailoutlet Private Land area

= area of quadrilateral BCHI = [Area of triangle BCI + Area of triangle CIH]

Area of triangle = $\sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$

; where $S = (a+b+c)/2$ and a, b and c are sides of a triangle

$$\text{Area of triangle BCI} = \sqrt{38.613(15.613)(16.263)(6.737)} = 257.006 \text{ SqM}$$

$$\text{Area of triangle CIH} = \sqrt{38.9305(16.4105)(15.4405)(7.0795)} = 264.264 \text{ SqM}$$

$$\text{So, area of non-forest land is} = (257.006 + 264.264) \text{ SqM} = 521.27 \text{ SqM}$$

$$= 0.0521 \text{ Ha.}$$

क्षेत्रीय वन अधिकारी

मुरादाबाद

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक रानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

(Authorized Signatory)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Meerut Retail Regional Office

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस-17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई - 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

REGISTERED OFFICE : 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI - 400 020

495/1, द्वितीय तल, आर.पी.जी. टावर, यूनिवर्सिटी रोड, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ-250004, (उ.प्र.), फोन : 0121-3323901

495/1, 2nd Floor, RPG Tower, University Road, Mangal Pandey Nagar, Meerut-250004, (U.P.), Tel.: 0121-3323901

By Hand/By Speed Post

Ref: MTRO/AK/LOI/1476

Date 23/10/2019

To,
Nazia Parveen
W/o Mohd Farhan Qureshi,
Address: Bhoon Chowk Eidgah Road,
Opp Ice Factory Moradabad,
District - Moradabad (UP)
Pin Code - 244001

Madam,

Sub: Proposed MS/HSD Retail Outlet Dealership at Location: BETWEEN RAMGANGA BRIDGE AND KASIPUR TIRAHA ON MORADABAD - RAMPUR ROAD, District - MORADABAD, State UP, Category: OPEN.

We refer to our advertisement dated 25-11-2018 and your application form No 15455694215831 for the award of MS/HSD Retail Outlet dealership at the above location and the subsequent draw of lot held at Hotel Broadway Inn, 1/9, Garh Road, Meerut on 20/06/2019.

Please be informed that by this Letter of Intent, we propose to offer you a Retail outlet dealership of HPCL at the above location on the following terms & conditions: -

1. You have offered a suitable piece of land admeasuring 20 meters (frontage) X 20 meters (depth) at Khasra No. 112 Mi, 113 Mi & 114/1 Mi, Village - Mustafabad Mustakam, Pargana & Tehsil - Moradabad, District - Moradabad indicated by you in the application for the development of the subject Retail Outlet. You have to make available this land within 2 months from the date of this letter failing which this offer is liable to be withdrawn. (For Group 1)
2. For making the land available as required above, you will ensure that the land arranged by you is either registered in your name or it should be leased to you for a minimum period of 10 years & 11 months.
3. As and when advised by the Corporation, the site offered by you would be duly developed up to the road level by cutting/filling (as applicable), with good earth/murram, layer-wise compacted as per standard engineering practices. You shall also construct necessary retaining wall and compound wall of 1.5 meters height, designed as per site conditions as per approval of Corporation as committed under Clause 12 (e) of affidavit submitted by you along with application. Kindly note that in case the site as offered by you for putting up the Retail Outlet is

(सहज)

प्रभागीय निदेशक

Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
Nitin Shrivastava
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Meerut Retail Regional Office

not developed as per the advice of the Corporation, this Letter Of Intent will be withdrawn without any further notice.

- a. You will provide at the retail outlet infrastructural facilities like Driveway, Sales Office, Show room, Store, Toilet, Generator, Compressor, with room, electrical connection up to the sales building, Yard lighting, water connection / bore well and staff room as mentioned in the Brochure and after obtaining necessary clearances/approvals/licences as applicable in each case.
5. In addition, you will also provide the following basic facilities at your cost at the Retail Outlet premises -
 - a. Clean drinking water
 - b. Free Air
 - c. Clean toilet.
 - d. Telephone.
 - e. First aid kit with valid medicines.
 - f. Adequate illumination.
 - g. PUC facilities, wherever it is mandatory.
 - h. Other facilities as may be specified by the Corporation from time to time.
6. Additional facilities (site specific) like Canopy, Service Station or any other facility as may be decided by HPCL from time to time would also be required to be developed by you.
7. HPCL will provide storage tanks and pumps and other facilities considered necessary at the Retail Outlets.
8. For the facilities that may be provided by the Corporation as aforesaid, you will be required to pay license fee as may be decided by the Corporation and applicable to you from time to time. At present, the license fee (incl. GST) recoverable is Rs. 196.51/KL for MS and Rs. 163.76/KL for HSD.
9. The corporation will not be held liable for any loss or damage on account of delay that may be caused in providing you the facilities mentioned above whatever may be the cause of the failure or delay.

In case it is found that the funds stated in the application for the purpose of setting up and operation of the dealership are not made available as and when required, this LOI can be withdrawn and you will have no claim/damages whatsoever against the Oil company.

11. You shall not induct any partner(s) in case of individual (s) nor make any change in the constitution of the partners as existing at the time of application without approval of the Company, except your spouse as per terms and conditions of the HPCL.

- 12 It will always be a basic condition for the award of MS / HSD retail outlet dealership that you shall be paying attention towards day to day working of the dealership by personally managing the affairs of the dealership you will give us a written undertaking to this effect and shall not assign or part with the same to any other person (s).

You will not be eligible for taking up any employment. If you are already employed you will have to resign from the employment and produce the letter of acceptance of resignation by the employer before the issuance of Letter of Appointment by the Oil Company.

- 13 You will deposit with us a Demand Draft for Rs. 4.50 Lacs drawn on any scheduled bank in favour of HPCL payable at Meerut towards security Deposit (after setting of the Initial Security Deposit amount) at the time of issuance of appointment letter after compliance of all the requirements of LOI. Kindly note that the Security deposit will not carry any interest and is refundable at the time of expiry of agreement between you and the Corporation. However, if such expiry of agreement is consequent to proven adulteration/malpractice at the dealership, this amount will be forfeited. Moreover, this Corporation reserves its right to adjust this amount towards any dues to it.
- 14 You will also remit an amount of Rs. 15 Lacs towards Non-refundable Fixed fee, by way of a Demand Draft for Rs. 15 Lacs drawn on any scheduled bank in favour of HPCL payable at Meerut Within 15 days of receipt of NOC.
- 15 You will be notified by the corporation, in writing, after the facilities mentioned above are made available and are ready for commissioning the dealership. Immediately on receipt of the above notice from the corporation, you shall obtain each and every license necessary for operating your dealership as may be required under any central / state govt. / municipal or local authorities for the time being in force.
- 16 If we find that the progress made by you towards the above is not to our satisfaction, this offer is liable to be withdrawn.
- 17 Please note that you are required to fulfill the conditions with regard to inducting Spouse as Co-owner in the dealership before issuance of Letter of Appointment.
- 18 This letter of intent will stand automatically withdrawn and cancelled on the happening of any of the following events:-
- a In case you or any of your family members (as defined under disqualification criteria of dealer selection guidelines) receive anytime or have received a letter of intent for any other "A/CC" site RO dealership or LPG distributorship from our company or any other oil marketing company either in your individual capacity or in partnership with any other individual(s).
- b In case you or any of your family member gets inducted as partner or proprietor in A/CC site RO dealership or LPG distributorship of our company or any other oil marketing company.

(सूख)

प्रमोदी निदेशक

राज्यीय तृतीय स्तर

मुंबई

Chief Regional Officer
Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Meerut Regional Office

Hindustan Petroleum Corporation Limited
495/1, 2nd Floor, RPG Tower,
University Road, Mangal Pandey Nagar,
Meerut - 250004. (UP)

Note You have one-time option to offer alternate land meeting all specifications in the advertised location/stretch within 90 days of this LOI provided you have not availed such opportunity of providing alternate land after FVC.

Please acknowledge receipt of this letter.

Thanking you,

Very truly yours,


Sanjay Nagpal
Dy. General Manager &
Duly Constituted Attorney


(C. (Raj))
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


मितीन श्रिवास्तव
Mitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विहित गठित न्यायाधी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रीटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82
दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरि विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरि विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि आशय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, वरन् ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य प्रदेशों के वन विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उसका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तत्कालीन

वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बॉच () के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को जेंचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिसपर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय।

मैं नितिन श्रीवास्तव, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ, भारत
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रेटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सुरक्षित)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

प्रतिपूरक वनीकरण करने संबंधी वचनबद्धता

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक, नैतिक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन0एच0-24) (शहरी मार्ग) के कि0मी0 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि0, 113मि0 व 114/1 मि0 पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु केन्द्रीय एवं पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007(एफ0सी0 डिवीजन) दिनांक 5-2-2009 एवं यथासंशोधित पत्रांक-5-3/2011एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06-01-2022 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि हस्तांतरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, मेरठ द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) वन विभाग उ0प्र0 को ई-पेमेंट पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।

(नितीन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0,

मेरठ। श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।
मुरादाबाद

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु यदि भविष्य में एन०पी०वी० दरें संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि देने हेतु मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ (यू०पी०), वचनबद्ध होगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ

Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रमाणित निदेशक/देराक
सामाजिक/विक्रमिकी प्रभाग/प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

पत्रांक :- 1040/प्र0 वर्ग/21
सेवा में,

दिनांक :- 4-6-2021

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

विषय :- श्रीमति नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी मूड़े का चौराहा, ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्ताफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका का पत्रांक-156/प्र0सहा0 आबकारी/2020 दिनांक 02.03.2020 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद का पत्रांक-984/46एम (मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक 30.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। विषयक प्रकरण में मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-984/46एम(मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक 30.04.2021 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) है। पुराना एन0एच0-24 (दिल्ली-बरेली-लखनऊ) (शहरी मार्ग) के कि0मी0-163 चैनेज 162.863 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया है :-

मुख्य अभियन्ता महोदय, मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद के निर्देशानुसार प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :-

1. मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र की छायाप्रति।
2. अधीक्षण अभियन्ता मुरादाबाद वृत्त लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्र की छायाप्रति।
3. मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।

(लक्ष्मी नारायण)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद
दिनांक :-

पत्रांक :- /प्र0 वर्ग/21

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता-षष्ठम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक न्यायिक प्रभाग
मुरादाबाद

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मुरादाबाद

पत्रांक- 984/46एम०(मुरादाबाद)-मु०शे०/20-21
अधिशाली अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

दिनांक- 30/4/21

11/0
01/06/21

विषय- श्रीमती नाशिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूहे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वार ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं०-112मि०, 113मि० व 114मि० पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- मुख्य अभियन्ता(मु०-2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ का पत्रांक 702एम०टी०/सामान्य वर्ग/60एम०टी०/1999, दिनांक 05.01.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद का पत्रांक-965/105काम-मु०वृत्त/20 दिनांक 23.02.2021

अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दिनांक 23.02.2021 द्वारा संस्तुत प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन की तिथि दिनांक 04.12.2019 से पूर्व का है। रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सामान्य वर्ग), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-15362एम०टी०/सामान्य वर्ग/60एम०टी०/1999, दि० 24.12.2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है। "उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दि० 18.03.2020 (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये उपरोक्त वर्णित निर्णय के कम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में ऑयल कम्पनी द्वारा निर्गत विज्ञापन की तिथि शासनादेश दिनांक 04.12.2019 के पूर्व की हो, उन समस्त प्रकरणों का निस्तारण पूर्व शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा।" उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता(मु०-2), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-7725/एम.टी./18एम.टी./99, दिनांक 15.11.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया था, कि समस्त मार्गों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवेज (रोड विंग), ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली के पत्रांक आर.डब्ल्यू/एन.एच. 33023/19/99, डी.ओ.-3 दिनांक 31.08.2000 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता(मु०-2) के पत्र सं०-79कैम्प/मु०अभि० (मु०-2)/सामान्य/19, दिनांक 30.09.2019 द्वारा कतिपय कारणों से जारी 2003 की गाइड लाइन्स को निरस्त कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त के फलस्वरूप दिनांक 04.12.2019 से पूर्व प्रकाशित रिटेल आउटलेट के प्रकरणों हेतु लो०नि०वि० में कोई भी गाइड लाइन्स प्रचलित नहीं है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, धेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.00 मी० की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये।
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने वाले हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर कराना होगा।
5. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना का अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता से कराना होगा।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
7. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. भविष्य में प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/मार्ग की श्रेणी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनसुविधाओं में वृद्धि होने के कारण लो०नि०वि० को यदि भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है, तो उस स्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं किसी भी अभिलेख के असत्य पाये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न- मानचित्र एक प्रति में।

(डी०के० मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-965/105काम-मु०वृत्त/20 दिनांक 23.02.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागिक अभियन्ता
मुरादाबाद

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

मुद्रादाबाद वृत्त, लो०नि०वि०, मुद्रादाबाद।
(E-mail-semoradabad@)

(E-mail-semoradabad14@gmail.com)

दिनांक 23/02/81

आंक- 965 / 105 पगम-मुठपुत / 2020

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद।

विषय— श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं०-112मि०, 113मि० व 114मि० पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, मुशदाबाद का पत्रांक 391/प्र०
दिनांक 17.02.2021।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी मूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वारा ग्राम मुस्ताफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं०-112मि०, 113मि० व 114मि० पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुरानी गाईड के अनुसार अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, मुरादाबाद के सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस ईधन स्टेशन की एल०ओ०आई० दिनांक 04.12.2019 से पूर्व की है।

अतः अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-अधिशालसी अभियन्ता के
संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

22/12
(सजीव गाविल)
अधीक्षण अभियन्ता
22/12

अभिलेख

अधिशारी अभियन्ता प्राचीय खण्ड लो०नि०वि०, मुरादाबाद का पत्रांक 391/प्रा०
दिनांक 17.02.2021 के क्रम में सूचनाथ प्रेषित।

प्रभागाध्यक्ष निदेशक
सांख्यिक चणिकी प्रभाग
मुसदाबाद

अधीक्षण अभियन्ता
मुरादाबाद वृत्त, लो० नि० वि०.
मुरादाबाद।

4-TEMPERATURE-00105.COM.doc

निमिष शिवाजी
Mithun Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं निमित्त प्रबन्धक
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेड ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय
Mumbai Regional Office



उद्घरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 115161 ग्राम का नाम / परगना : मुस्तादाबाद यु. (मुस्तादाबाद)

खता खतौनी खातेदार का नाम / शिला प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

कम संख्या

तहसील : मुस्तादाबाद

वसपद : मुस्तादाबाद

कमती वर्ष : 1425-1430

पान : 1

उद्घरण क्रमांक : 115161202002

टिप्पणी

13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधीन है।

00053 मोहम्मद अय्यूब / मौदयुसुफ / निमगलपुरा लकडीवास्तन
मौहम्मद कयस / मौदयुसुफ / निमगलपुरा लकडीवास्तन

2

3

4

5

6

7-12

1419मौअदेजानुवर श्रीमन् उपविताभिन्ती लदा मुस्तादाबाद
बाद 3039पान 229मौमैदयुसुफ अओएल
रि.4.4.11के अनुसार मौदयुसुफ नया मौदयुसुफ अदि ने
पान 112मौ 117 हेन अता 113मौ 133मौ
बाद के निम्नान नर अता आता को निम्न अदि - नई ने
निम्न

निम्न अता है 1419मौमौदि31.10.11

1419मौअदेजानुवर श्रीमन् उपविताभिन्ती लदा मुस्तादाबाद
बाद 3039पान 229 मी मैदयुसुफ अओएल
अदेश दिनांक 21.12.11 के अनुसार मौदयुसुफ
मौदयुसुफ अदि ने पान 56 के पान 112 नि
10.117.113मौ / 0.133मौ या बाद नई की अता ऐसी ने
निम्न अता है

मौअ.ने006.01.12

1421मौअदेजानुवर श्रीमन् उपविताभिन्ती लदा मुस्तादाबाद
बाद 1112012 पान 229 मी मैदयुसुफ अओएल
अदेश दिनांक 4.4.2013के अनुसार मौदयुसुफ
मौदयुसुफ ने निम्न अता के पान 112 नि

(सुराज)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक जाति प्रमाण
मुस्तादाबाद

27/4/2020 3:22 P

AO 117.113 कि / 0.13380-नववर्षित मे प्रतीय अदेतो लक
मेके पा

यस विधि गवती रती जाये 80-अओके 021.11.13

14277 अदेतनुकर श्रीमान अल उम निवसिमाती मर
मुदाबदर वर संख्या की 2013:35400620 का 2299
3090-अओके 1950, अदेत रिपेक
19-12-17/05-07-19 के अदली मीटरीस काय नौ
अपुन मे लम मुतकनवद मी की लाल संख्या 53 पर वर की
कार्यवाही वारी की अदप पैली भावय के अपन मे सिख की
वारी है इकले 05-07-19

7

₹ 6.90

0.278p

3

कुल प-पानल - ४. रामलव मी गवय मारे

कुल क्षेत्र- राज्य रामलव मे गत अउ रतु (रेमेटक)

Data Digitally Signed by: VIPNESH GUPTA



वस अदिवाही: VIPNESH KUMAR GUPTA

वारीत: मुदाबदर कपल मरुद

दिनांक रत वस: 24-02-2020 03:22:03

१ वा अदप जाओमी इमरुदिक रिपेक मी सिख रत मी है 80 अउ रिपेकल इमरुद रत एलवरी है।

मरुदक अल वारी मी मेमिन्टर <http://ipkshu.co.in> gov in Webadio पर जक सिख का वस है।

(सह)
प्रभाषा विभागाध्यक्ष
सांसाधन विभागी प्रभाग
मुदाबदर

27/4/2020 3:22 P

2 of 2

2885/020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 521586

पट्टा विलेख

अवधि 20 वर्ष 11 माह

स्टाम्प 3,000/- रु०

हम कि मौहम्मद अय्यूब व मौहम्मद कय्यूम पुत्रगण श्री मौहम्मद यूसुफ-निवासीगण मुगलपुरा, लाकड़ी वालान, शहर व जिला मुरादाबाद जिन्हें आगे पट्टाकर्ता कहा गया है और जो इस विलेख के प्रथम पक्षकार हैं।

तथा

श्रीमती नाजिया परवीन पत्नी हाजी फरहान निवासी भूडा चौक, ईदगाह रोड, मुरादाबाद जिसे आगे चलकर पट्टेदार कहा गया है और जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है, विलेख पंजीकरण हेतु अधिकृत हैं:-
के बीच किया गया है।

(Signature)
प्रमाणित निदेशक
सामयिक निजी प्रमाण
M. Ayub

(Signature)



(Signature)
नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विलेख मालिक व्यवसायी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मैक्स रिफ़ाई क्षेत्रीय कार्यालय
Maxx Refin Regional Office

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सचिव प्रथम मुरादाबाद क्रम 2020264004966

अवेयर संख्या : 202000719006041

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2020-02-18 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम वाजिदा परबीन

लेख का प्रकार पट्टा विनिमय/कन्सुलिटेशन

प्रतिफल की धनराशि 72000 / 0

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 720

2. प्रतिनिधित्व शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुद्दामर के अधिप्राप्ति कारण लिए शुल्क

5. बर्फीकरण शुल्क

6. निविदा

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 780

शुल्क बसूल करने का दिनांक 2020-02-18 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-02-18 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक प्रथम
मुरादाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वाणिजी प्रभाग
मुरादाबाद

निशिन श्रीवास्तव
Nishin Srivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त प्रतिष्ठित न्यायाधी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ निदेश क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Region Regional Office



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 521587



(2)

और चूंकि एक कित्ता आराजी रकबई 488.11 वर्ग मीटर आराजी मय बाउन्डीवाल मुताल्लिका गाटा सं० 112मि०, 113मि०, 114/1मि० स्थित ग्राम मुस्तफाबाद मु०, तहसील व जिला मुरादाबाद जिसका पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है जिसका मानचित्र साथ में संलग्न है।

चूंकि पट्टाकर्ता प्रथम पक्ष ने उसके और अधिक फायदाप्रद उपभोग के हेतु उसे पट्टे पर देने का निश्चय किया है।

चूंकि पट्टेदार द्वितीय पक्षकार ने एक पेट्रोल पम्प लगाना है जिसको उक्त बाउन्डीवाल में स्थापित करना है और उक्त सम्पत्ति का किराया सम्पत्ति के मूल्यांकन को देखते हुए अधिक से अधिक 12,000/- रु० वार्षिक देने को रजामन्द हो गया है, जो कि पट्टाकर्ता को स्वीकार्य है।


(हाराज)
प्रशासक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
H. Arora




Nitin Shrivastava


Nitin Shrivastava

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 521588



14 FEB 2020

(3)

अब यह विलेख साक्ष्य है कि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार से 12,000/- रु० वार्षिक धनराशि को किराये के रूप में जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति पट्टाकर्ता एतद्वारा करता है, तथा आरक्षित भाटक के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार के पक्ष में उक्त सम्पत्ति तथा उस पर होने वाले निर्माण से सम्बन्धित सभी लाम, अधिकार तथा सुखाचार का, जिसका इस विलेख में आगे चलकर और विशेष रूप से वर्णन किया गया है, अन्तरण करता है जिससे कि पट्टेदार एतद्वारा अन्तरित सम्पत्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनः अनुमोदित और स्वीकार कर लिया था, दिनांक 17-12-2018 से 16-11-2039 तक के लिये धारण करेगा :-

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग
मुंबई



(हस्ताक्षर)
Nagib

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं निदेशक
Chief Regional Manager & Duty Commissioner
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
भारत रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Bharat Retail Regional Office

(4)

1. यह कि पट्टेदार पट्टाकर्ता को पट्टे के अन्तराल बीस वर्ष ग्यारह माह में केवल 12,000/- रुपये वार्षिक किराया वार्षिक भाटक के रूप में बीस वर्ष ग्यारह माह तक नियमित अदायगी करेगा।
2. यह कि पट्टेदार के उक्त सम्पत्ति पर नियमानुसार स्वीकृत मानचित्रानुसार भवन बनाने, टीन शेड आदि का अधिकार पेट्रोल पम्प एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ होगा, इस प्रयोजनार्थ पट्टेदार को प्रस्तावित भवन निर्माण या किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन करने में पट्टाकर्ता कोई एतराज नहीं है और न भविष्य में होगा।
3. यह कि अगर कम्पनी को सब-लीज की जरूरत पेश आती है तो इसी अवधि के अन्दर पट्टातादा द्वारा सब-लीज की जा सकेगी।
4. यह कि अन्तरित सम्पत्ति अथवा उस पर बनी वर्तमान स्थिति को बदलने, गिरवाने अथवा अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा निर्माण आदि करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। उक्त भूमि से संबन्धित समस्त खर्च, ~~जल शुल्क, निर्माण शुल्क, जल शुल्क, निर्माण खर्च~~ विद्युत शुल्क, जल शुल्क, निर्माण खर्च वगैरा पट्टेदार के होंगे। भाटक से इनका कोई वास्ता व सरोकार न होगा।
5. इस पट्टे में प्रयुक्त पद पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार में जब तक प्रसंग में अन्य व्याख्या न हो, पट्टाकर्ता की दशा में उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे और पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारी, दायद, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे।

M. Ayub

M. Ayub


(सहज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वाणिजी प्रभाग-
मुरादाबाद


Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायाधी
Chief Regional Manager & duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation
रेलवे स्टेशन रोड, कानपुर
Railway Station Road, Kanpur

6. यह कि उक्त सम्पत्ति दिनांक 17-12-2018 को जरिए पट्टा विलेख दि० 18-12-2018 व रजि० शुदा बही सं० एक जिल्द नं० 14865 पृष्ठ 65/78 बरम्बर 22025 के द्वारा द्वितीय पक्ष को पट्टे पर दी गयी थी। किन्तु उक्त विलेख सं० 22025/2018 में टाइप की सहवन गलती से क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर की जगह 450.32 वर्ग मीटर टाइप हो गया जबकि वास्तव में सही क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर है जो कि पट्टे पर दिया गया था। अतः इस विलेख में सही क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर लिखा गया है तथा किरायेदारी दिनांक 17-12-2018 से ही निरन्तर चल रही है जो कि 16-11-2039 तक जारी रहेगी।

अन्तरित संपत्ति का विवरण:-

भूमि पर पट्टाकर्ता बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील चला आता है। कुल भूमि का क्षेत्रफल 488.11 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल मय चहार दीवारी मुताल्लिका गाटा सं० 112मि०, 113मि०, 114/1मि० स्थित ग्राम मुस्तफाबाद मु०, तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत भूमिधर मालिक है जो पट्टा विलेख द्वारा अन्तरित किया गया है। दिशायेँ सीधी पूरब-पश्चिम नहीं है कुछ घूमी हुई हैं। जिसका नक्शा संलग्न है।

पूरब — सम्पत्ति दीगर शख्स।
पश्चिम— आराजी प्रथम पक्ष।
उत्तर — आराजी मौहम्मद रिजवान कुरैशी आदि।
दक्षिण — सड़क मुरादाबाद-रामपुर रोड।

लिहाजा यह पट्टा विलेख बहालत सेहत नफस व सबाते अकल बदुरुस्ती होश व हवास अपने-अपने तहरीर कर ताकि ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

M. Ayub



(रज)

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक चानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

M. Ayub



निजिन श्रीकृष्ण
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त गणित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

Na818



(6)

नोट- पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के फोटो साक्षीगण की पहचान पर मौहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।
इसका मुताबिक पट्टेदार प्रहलद सिंह सोहन पट्टेदार पत्नी सुनीता देवी 18-02-2020
हो M. Ayub M. Ayub हो 18-02-2020



रामेश कुरैशी
पुत्र श्री हाजी इरफान
नि० भूडे का चौराहा
मुरादाबाद।



मौहम्मद फरहान
पुत्र हाजी इरफान
नि० भूडे का चौराहा,
मुरादाबाद।



मौहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू
नि० भूडे का चौराहा,
मुरादाबाद।

यह पट्टा विलेख आज दिनांक 18-02-2020 ई० बमुकाम मुरादाबाद बड़करार पक्षकारान बमश्वरे मौहम्मद इस्लाम उर्फ बाबू एडवोकेट, श्रीबालाजी कम्प्यूटर ग्राफिक्स, कोर्ट प्रथम गेट, मुरादाबाद के लिये हुमा ने टाइप किया।



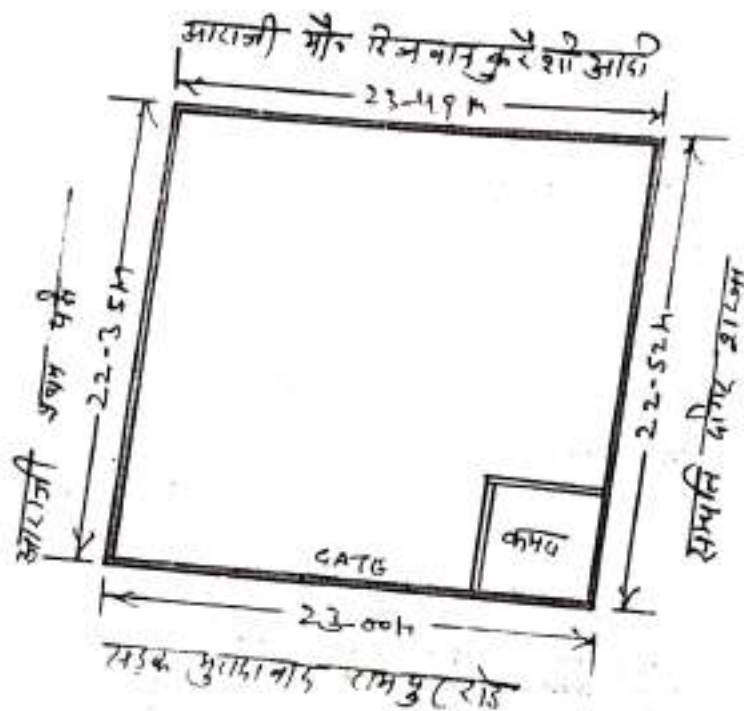
Mohammad Islam Urf Babu
(Advocate)
Ch. 4 Kachari S.B.I. Road, MBD.
M. 9897236662

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक चानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियमित गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरु रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

नवराज एन. बिना संपत्ति रकम 488-11 लॉ नो. वरंग दुर्ग
 वाका मोठ, मुलापावाड, मुल्ल, मुलापावाड / वाकावाड 113 मि.
 114 मि.
 प्रचल पत्र: श्री मोहम्मद अयूब आदी
 द्वितीय पत्र: श्री मनी नाजिमा परवीन

समा. 350



M. Ayub

M. Ayub

M. Ayub

M. Ayub

M. Ayub

(सहाय)
 प्रशासकीय निदेशक
 सामाजिक न्यायी प्रभाग
 मुलापावाड

मिनिम शीवासाय
 Minin Shrivastava
 Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
 विन्दुसाल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 Vinodsal Petroleum Corporation Limited
 मेरठ रेटेल क्षेत्रीय कार्यालय
 Meerut Retail Regional Office

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्ताफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन के अतिरिक्त चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ नितिन श्रीवास्तव

Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी
मुरादाबाद।

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।



Validity Period :26/09/2020 To 26/09/2025

Ref No. - 104306/UPPCB/Moradabad(UPPCBRO)/CTE/MORADABAD/2020

Dated:- 26/09/2020

To ,
 Shri NAZIA PRAVEEN
 M/s NAZIA PRAVEEN
 GATA NO 112MI 113MI 114 MI VILLAGE MUSTAFABAD TEHSIL MORADABAD
 DISTRICT MORADABAD U.P 244001,MORADABAD,244001
 MORADABAD

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 9553534 dated - 16/09/2020. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : 28.832360, 78.816114

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
FINISHED PRODUCT PETROL(MS) AND DIESEL(HSD)	Kilo Liters/Month	60000

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
PETROL (MS) AND DIESEL(HSD)	60000

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
NA	Kilo Liters/Month	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KLD)
Ground Water (within premises)	SUBMERSIBLE	1.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

(सूख)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक कानूनी प्रभाग
 42 मुरादाबाद

Chief Regional Officer & Deputy Commissioner
 Hindustan Petroleum Corporation Limited
 HPC Retail Regional Office

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	1.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		Use
Fuel	Consumption(tpd/kld)	
Others	0.020	MACHINERY RUNNING

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.
- For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.
2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 26/09/2025 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This CTE is granted for establishment at Gata No-112Mi, 113Mi & 114Mi Vill-Mustafabad Tehsil and District-Moradabad for storage of H.S.D. (Diesel)-22.0 KL & M.S.-(Petrol)-22.0 & 16.0 KL only.
2. The Retail outlet shall comply with various provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended & Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended and all other applicable rules notified under Environment (Protection) Act 1986.
3. This CTE valid for discharge of domestic effluent only.
4. Domestic waste water discharged through septic tank /soak pit.
5. Until Shall develop Green Belt in minimum 33% area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no.H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P Pollution Control Board www.uppcb.com.
6. Retail Outlet should install rainwater harvesting system for recharge of ground water.
7. Retail Outlet should comply all the directions of M/s Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
8. Land conversion certificate should be submitted within three month. If same shall not be submitted within three month hence CTE will be deemed cancelled.
9. NOC from Explosive Department and Fire Safety Department shall be obtained.
10. Unit should be obtained necessary permission from district administration and other concern department and should comply all the condition as applicable.
11. Proposed D.G. Set 15 KVA 1 No. must be equipped with Acoustic Enclosure and suitable air pollution/noise pollution control devices and emission and noise level of D.G. Set must conform to the prescribed standards.
12. Retail outlet shall comply directions of petroleum explosive safety organization (PESO).
13. Retail outlet should be installed volatile recovery system.

प्रधानीति निदेशक
सामाजिक भवन प्रभाग
मुरादाबाद

निदेशक
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं निदेशक, निदेशक
Chief Regional Manager & Duty Constuted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
ग्रैंड रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Grand Retail Regional Office

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 26/10/2020 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

VIKAS Digitally signed
by VIKAS MISHRA
Date: 2020.09.26
14:51:41 +05'30'
MISHRA
Regional Officer

Dated:- 26/09/2020

VIKAS Digitally signed
by VIKAS
MISHRA
Date: 2020.09.26
14:52:04 +05'30'
MISHRA
Regional Officer

Copy To -


(हस्ताक्षर)
प्रमाणित निदेशक
राज्याधिकारिक कार्यालय
मुंबई


नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं नियुक्त प्रतिनियुक्त
Chief Regional Manager & Only Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रीटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

No. 12345/XIV- Whereas the Governor, Uttar Pradesh is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (1) of section 23 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisions to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :

Schedule

Name of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act	District	Road mileage		Description of boundary
		M. fms	ft.	
1. Lucknow-Bareilly Road from mile 0 to mile 152	Lucknow, Sitapur, Shahjahanpur & Bareilly	152	0 0	The land has been declared on the and by stone or cement pillars boundary lines.
2. Bareilly-Bareilly (excluding Rampur & Bareilly) Road from mile 34/0 to mile 86/6-300ft. and from 106/7 to mile 139/0.	Moradabad & Bareilly	74	0 233	-Ditto-
3. Bareilly-Mathura Road from mile 0/0 to mile 50/0	Bareilly & Mathura	60	0 0	-Ditto-
4. Bareilly-Mathura Road from mile 0/0 to mile 63/0	Bareilly & Mathura	63	0 0	-Ditto-
5. Bareilly-Mathura Road from mile 0/0 to mile 33/0	Bareilly & Mathura	33	0 0	-Ditto-
6. (a) Jala-Bijnor Road from Moradabad & Bijnor mile 19/0 to mile 70/6	Moradabad & Bijnor	51	6 0	-Ditto-
7. (b) Bijnor-Bareilly Road from mile 0/0 to mile 7/0	-Ditto-	7	0 0	Ditto

प्रमाणित
12021
सामाजिक शांति प्रयोग
मुसदाबाद
45

By order,
Pran Nath Kataria
Chief Regional Manager & Duty Officer
Hindustan Petroleum Corporation
New Delhi

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँधी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु प्रस्तावित परियोजना से 10 कि०मी० की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्य जीव विहार नहीं पड़ रहा है।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, क
मुरादाबाद। निदेश प्रभाग
मुरादाबाद

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-२४) (षहरी मार्ग) के कि०मी० १६२-१६३ के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-११२मि०, ११३मि० व ११४/१ मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०६५९१८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक ०६ वृक्ष व ०२ पौधों (कुल ०८ वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु मक डिस्पोजल योजना के संबंध में प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-२४) (षहरी मार्ग) के कि०मी० १६२-१६३ के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-११२मि०, ११३मि० व ११४/१ मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०६५९१८ हे० संरक्षित वन भूमि में किसी प्रकार का मिट्टी खुदान कार्य नहीं किया जायेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।

Disposal/Management Plan

While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/management plan has to be prepared.

Should include :-

1. Calculation of muck to be generated self factor has to be applied N.A.
2. Quantity of muck to utilized in the project activities N.A.
3. Balance quantity of muck. Which requires disposal/management plan ? N.A.
4. Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site. N.A.
5. Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land. N.A.
6. Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site) N.A.
7. Development of dumping site-construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. N.A.
8. Rehabilitation of dumping site like levelling planting of grass, shrubs and tree species. N.A.

After construction work of approach road will be done

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that :

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action at their cost.
- 2- The proposed dumping site is located away from river/stream/nala.

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्याय दादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्याय दादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक, मक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद

क्षेत्रीय अधिकारी
मुरादाबाद

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बौधी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा संरक्षित वन भूमि पर रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



जिलाधिकारी
मुरादाबाद



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Entire tree Transplan (ETT) करने संबन्धी वचनबद्धता
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (षहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ Entire tree Transplan (ETT) शर्त का अनुपालन करने करने हेतु वचनबद्ध होगा।

(नितिन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, क
मुरादाबाद। प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

न्यूनतम वृक्ष पातन सम्बंधी प्रमाण-

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (षहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बौंयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु प्रवेश एवं निकास मार्ग निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



(सूरज)

प्रभुगोपाल निदेशक, एक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-0139/2022

1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

- (i) State / Union Territory : Uttar Pradesh
(ii) District : Moradabad
(iii) Forest Division : Social Forestry Division Moradabad
(iv) Area of forest land proposed for diversion (In ha.) : 0.065918
(v) Category of the Proposal: Approach Access

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Social Forestry Division Moradabad	0.065918	Protected Forest
Total		0.065918	

Division 1. : Social Forestry Division Moradabad

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Moradabad	0.065918
Total		0.065918

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.065918	0.2	Eco 3
Total.	0.065918		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Dalburgia Sisoo	SHISHAM	2	5	0	0	0	0
2	Others	CHILBIL	0	1	0	0	0	0
Total			2	6	0	0	0	0
Sub Total (No of Trees.)			8					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

PARA 20, 16.7 OF WORKING PLAN PROVIDES FOR CA IN EQUIVALENT AREA.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : AREA IS NOT VULNERABLE TO SOIL EROSION.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(In km.) : 3

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

Patch Wise Details

- Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :
- (i). NIL
 - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
 - (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
 - (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
 - (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

- (i). Patch wise details for Degraded Area (To be earmarked by DFO)
- (ii). Total Financial Outlay for C.A(lacs): 1.62500

S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	0.132	OTHERS	Moradabad	Moradabad-Tanda Road between Km 20-21 on Right side	 View file

- (ii). Copy of CA scheme details: 
- (iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station 
- (iv). Copy of Survey of India Toposheet Indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 
- (v). Copy of NOC from Competent Authority : 

Additional Information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		NOC fire
2		badhak tree detail
3		badhak tree photo
4		labhanvit certificate
5		user undertaking related certificate
6		vany jeev vihar related certificate

7		letter date 18-03-2010 related certificate
8		NPV related certificates
9		task force related certificate
10		vaikalpik bhumi related certificate
11		letter dated 11-07-2014 related certificate
12		minimum tree felling related certificate
13		mulya certificate
14		PESO letter
15		pratipurak vanikaran related certificate
16		van bhumi garna as per layout plan
17		van swoop related certificate
18		ETT related certificate
19		NOC pollution dept
20		NOC PWD
21		FRA
22		nirdharit sharten related certificate
23		no work start related certificate

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Moradabad	227100	839.15	113.0933	60	0	17/03/2023	0	8.11

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Social Forestry Division Moradabad	Moradabad Circle Moradabad	DFO	Yes	One		10/03/2023

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Social Forestry Division Moradabad	Moradabad Circle Moradabad	DFO	Recommended	recommendation done for public interest.		

Print page

मन्थरान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एनएच-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाईपास पर ग्राम मुस्तफाबाद, शहरील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पंप के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.085918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 08 वृक्ष व 02 पीपों (कुल 08 वृक्ष/पीपों) के घातन हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्रावकलन।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्रावकलन (10 वर्षों के रख-रखाव सहित)

स्थल का नाम- बरान्तपुर रामराय वन ब्लॉक

प्लॉट का नाम-मुरादाबाद

योजना का नाम-कैम्पा सी०ए०

श्रमिक मजदूरी दर - 201/- प्रति दिन

प्रस्तावित क्षतिपूर्क स्थल का अनुमानित क्षेत्रफल-0.15 हे०

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण - 0.132 हे०

रोपित हेतु पीप संख्या-132

आर०सी०सी० पोल पंक्ति वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मूदा कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे सौभाग्य कार्य	0.132	प्रति हे०	32.16	4.25
2	डागही कटान कार्य	0.132	प्रति हे०	1632.00	215.42
3	पंक्ति बन्धन कार्य सामग्री मूल्य सहित				
	(क) गड़दों/गाउण्ड का पंक्तिबन्धन	132	प्रति गड़दा	0.26	34.32
	(ख) गड़दों का खुदान साईज-0.60 X 0.60 X 0.60 मी०	132	प्रति गड़दा	12.86	1697.52
4	आर०सी०सी० खम्बों का मूल्य समस्त कर सहित	7	प्रति खम्बा	404.00	2828.00
5	कार्टेदार तार का मूल्य 200 रनिंग मीटर प्रति हे०, 5 लट में (बाजार दर)	0.1188	प्रति टन	84892.00	10085.17
6	वृक्षारोपण बोर्ड साईज (4X3)	12	प्रति	273.00	3276.00
7	अंजार क्य एवं मरम्मत तथा आकस्मिक व्यय		ल०स०		2000.00
8	10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय		ल०स०		6859.32
			योग		27000.00

आर०सी०सी० पोल पंक्ति वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड़दा भरण कार्य				
	(क) गड़दों का साईज-0.60 X 0.60 X 0.60 मी०	132	प्रति गड़दा	1.21	159.72
2	गोबर खाद का मूल्य				
	(क) गड़दों का साईज-0.60 X 0.60 X 0.60 मी०	132	प्रति गड़दा	6.44	850.08
3	8 से 12 फिट पीप का क्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त (जैरी बैग)	136	प्रति पीप	80	10880.00
4	पीप का दुलान (20-40 कि०मी० दूरी)	132	प्रति पीप	24.12	3183.84
5	पीपों का स्थानीय दुलान	132	प्रति पीप	4.02	530.64
6	पीपारोपण कार्य	132	प्रति पीप	14.07	1857.24
7	सिंचाई कार्य-9 बार	1188	प्रति पीप	1.3	1544.40
8	निराई-गुड़ाई कार्य - 3 बार	396	प्रति पीप	1.51	597.96
9	प्लनिंग कार्य	132	प्रति पीप	1	132.00
10	रासायनिक उर्वरक		एक मुरत		600.00
11	आर०सी०सी० खम्बों की साउटिंग (बाजार दर)	7	प्रति खम्बा	196	1372.00
12	खम्बों का स्थानीय दुलान (बाजार दर)	7	प्रति खम्बा	3.28	22.96
13	तार की खिंचाई	1650	प्रति १०मी०	0.85	1402.50
14	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		3866.66
			योग		27000.00

प्रथम वर्ष अनुरक्षण 10 प्रतिशत बीटिंग अप सहित

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	गड़बों का खुदान साईज-0.60 X 0.60 X 0.60 मी०	14	प्रति गड़बा	12.86	180.04
2	8 से 12 फिट की पीध का कार्य 3 प्रतिशत अतिरिक्त	15	प्रति पीध	80	1200.00
3	पीध का बुलान (10 से 20 कि०मी० दूरी) 3 प्रतिशत अतिरिक्त (जैरी बैग)	14	प्रति पीध	20.10	281.40
4	पीध का स्थानीय बुलान	14	प्रति पीध	4.02	56.28
5	पीधरोपण मय खोदता बनाई	14	प्रति पीध	14.07	196.98
6	सिंचाई कार्य- 12 बार	1584	प्रति पीध	0.79	1251.36
7	निराई गुड़ाई कार्य 3 बार	396	प्रति पीध	1.51	597.96
8	पुनिंग कार्य	132	एक मुस्त	1	132.00
9	रासायनिक उर्वरक		एक मुस्त		2000.00
10	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		2000.00
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय		ल०स०		3103.98
			योग :-		11000.00

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीध	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीध	1.51	398.64
3	पुनिंग कार्य	132	एक मुस्त	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

तृतीय वर्ष अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीध	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीध	1.51	398.64
3	पुनिंग कार्य	132	एक मुस्त	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीध	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीध	1.51	398.64
3	पुनिंग कार्य	132	एक मुस्त	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीघ	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीघ	1.51	398.64
3	पुननिर्माण कार्य	132	एक मुरत	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

षष्ठम वर्ष अनुरक्षण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीघ	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीघ	1.51	398.64
3	पुननिर्माण कार्य	132	एक मुरत	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

सप्तम वर्ष अनुरक्षण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीघ	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीघ	1.51	398.64
3	पुननिर्माण कार्य	132	एक मुरत	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

अष्टम वर्ष अनुरक्षण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीघ	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीघ	1.51	398.64
3	पुननिर्माण कार्य	132	एक मुरत	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल०स०		2793.24
			योग :-		6000.00

नवम वर्ष अनुरक्षण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार	1320	प्रति पीघ	0.79	1042.80
2	निराई गुड़ाई कार्य 2 बार	264	प्रति पीघ	1.51	398.64
3	पुननिर्माण कार्य	132	एक मुरत	2.01	265.32
4	तारबाड की मरम्मत		ल०स०		1500.00

6	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल0स0		2793.24
			योग :-		6000.00

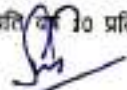
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई कार्य- 10 बार				
2	गिराई गुड़ाई कार्य 2 बार	1320	प्रति पीछ	0.79	1042.80
3	भूनिंग कार्य	264	प्रति पीछ	1.51	398.64
4	तारबाड की भरभत	132	एक मुश्त	2.01	265.32
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय सम्मिलित		ल0स0		1500.00
			ल0स0		2793.24
			योग :-		6000.00

व्यय का सारांश	
1	अग्रिम मृदा कार्य
2	वृक्षारोपण कार्य
3	प्रथम वर्ष
4	द्वितीय वर्ष
5	तृतीय वर्ष
6	चतुर्थ वर्ष
7	पंचम वर्ष
8	षष्ठम वर्ष
9	सप्तम वर्ष
10	अष्टम वर्ष
11	नवम वर्ष
12	दशम वर्ष
	योग :-
	119000.00

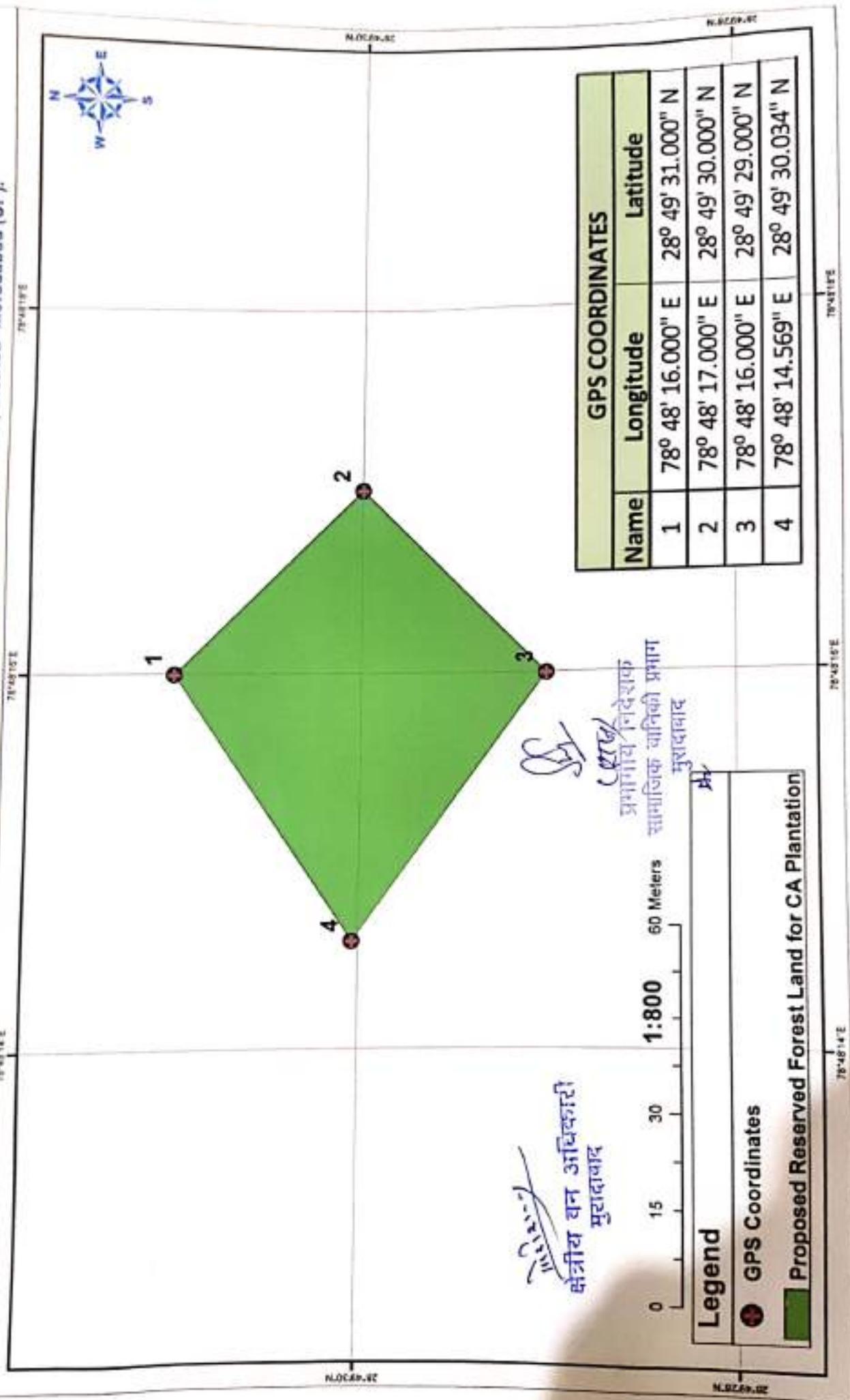
नोट :-

1. प्राक्कलन मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-526/11-सी दिनांक 09.09.2016 द्वारा निर्धारित प्रति है।
2. प्राक्कलन में प्रथम वर्ष अनुरक्षण में 10 प्रतिशत सीटिंग अप का प्राविधान किया गया है।
3. उक्त दरों में महंगाई व मुद्रास्फीति (Cost Escalation) को ध्यान में रखते हुए तृतीय वर्ष (प्रथम अनुरक्षण) से प्रति 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को भी समावेशित कर लिया गया है।


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 मुरादाबाद


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुरादाबाद

Georeferenced Map of Proposed Reserved Forest Land for Compensatory Afforestation (CA) Plantation in Forest Block: Basantpur Ramrai,
 Range: Moradabad, Forest Division: Moradabad, District: Moradabad, Against Proposed Protected Forest Land to be Diverted for Entry/Exit
 approach to HPCL Retail Outlet on Delhi-Bareilly-Lucknow Road NH-24 (City Road) In Km. No. 163 (CH. No. 162.863, LHS)
 At Gata No-112Mi, 113Mi & 114/1Mi, Village:- Mustafabad Mustakam, Tehsil:-Moradabad, District:- Moradabad (UP).



Scale 1:50,000

Scale 1:50,000

PLOTTER PRINT

100% Satisfaction Guarantee

Copyright © 2004 by Humana Press

Legend

Proposed Reserve Forest
Land for Off-Farm Use

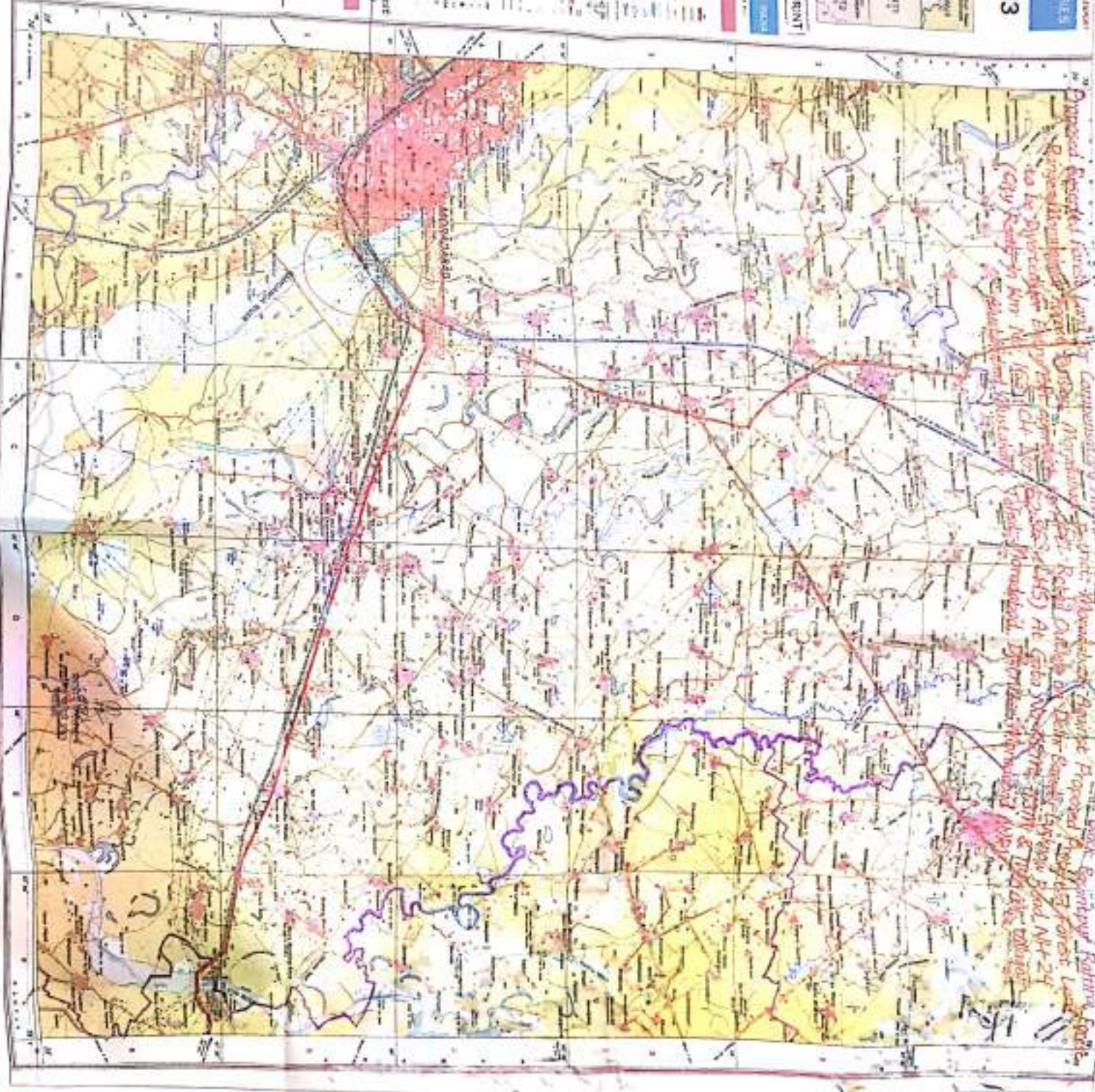
1000

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 25, 131–135

• *Explain the importance of the following:*

Repayment - 12000 Interest - \$10000
 Required: determine how long it will take to pay
 back the loan. $t = ?$
 $12000 = 10000e^{0.05t}$ $t = 3.91$ years

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
Published by Pearson Education, Inc.
Printed in the United States of America
This book is published under the Pearson Education
Copyright License Agreement.

[illegible]

WATER AND WASTE
WATER

Full Title of the project :- Construction of Retail Outlet (Under FCA-1980) by H.P.C.L Meerut in 0.0659183 ha. Of Protected forest land for non forestry purpose at Delhi-Barielly-Lucknow Road (Old NH-24) city Road in Between Km 162-163 on Left side at gata No-112Mi,113Mi &114/1 Mi Village:- Mustfabad, Tehsil and Distt.- Moradabad U.P

File No. :- FP/UP/Approach/153459/2022

Date of Proposal :- 14/03/2022

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO (T)"

This is to certify that 0.132 ha. or (132 trees planted) Forest Department Land bearing survey no. Basantpur Ram rai Forest Block, Tehsil & Distt.- Moradabad, identified for compensatory afforestation is suitable for plantation from management point of view is free and all shorts of encumbrances and encroachments.


केंद्रीय वन आयुक्त
मुरादाबाद


(Suraj)
Divisional Director,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
Moradabad.

Place :-

Dated :-

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by the this office from मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु diversion (under FCA-1980) of 0.065918 hac. of Protected forest land for non-forestry purpose. The project envisage the use of Protected forest land for laying . The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated. 10/03/2013 .

On inspection of the site, it is found that the land required buy the user agency is a RF/PF/unclassed/Protect forest measuring. PF 0.065918 Hac.

The requirement of Protected forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. No

Whether any protected/archaeological/heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. No

- ✓ a. The user agency has not violated the provision of forest (conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.
- ✗ b. it has been found that the user agency has violated the forest (conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.-
Recommended for Public Interest.


(सूरज)
प्रशासीय निदेशक, राक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, भाग
मुरादाबाद


भाग-3

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या -
इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
(हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में
संलग्न करें।
15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई -
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
हैं।
16. -
प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ
विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए) .

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या -
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाय।)

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10/03/2023 को याचक विभाग के श्री नितिन श्रीवास्तव, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ एवं श्री सरोप सिंह रावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें 0.065918 हे० संरक्षित क्षेत्र/भूमि प्रभावित हो रही है व उक्त भूमि पर 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) बाधक है। प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित संरक्षित क्षेत्र/भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(नितिन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
एन० १००८, ६ वीं फ्लोर, इण्डिया
National Centre, Connaught Place

(सूरज)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रभाग
मुरादाबाद।

हेन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-२४) (षहरी मार्ग) के कि०मी० १६२-१६३ के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-११२मि०, ११३मि० व ११४/१ मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग क आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०६५९१८ हे० संरक्षित वन भूमि के और वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०६ वृक्ष व ०२ पौधों (कुल ०८ वृक्षों/पौधों) के पातन का प्रजातिवार/वैज्ञानिक नाम सहित विवरण

क्रम सं०	बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम	बाधक वृक्षों का सामान्य नाम	व्यास वर्ग से०मी० में						योग
			०-३०	३१-६०	६१-९०	९१-१२०	१२१-१५०	>१५०	
१	Delbergia Sissoo	शीशम	०२	०५	०	०	०	०	०७
२	Other	चिलबिल	०	०१	०	०	०	०	०१
योग:-			०२	०६	०	०	०	०	०८


वन क्षेत्र अधिकारी
मुरादाबाद


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद

प्रमाण-पत्र

जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बंध में

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। तथा समस्त वांछित अभिलेख / सूचनायें संलग्न हैं। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ, उत्तर प्रदेश

Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

एन०पी०वी० कैल्कुलेशन संबन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य निम्नवत् है:-

क्रम सं०	एरिया	इको क्लास	घनत्व	एन०पी०वी० प्रति हे०	कुल योग (एन०पी०वी०)
1	0.065918 हे०	03	0.2	9,57,780/-	63135/-

(नितिन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायाधी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँधी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ.नं. 11-268/2014 एफ०सी० दिनांक 11-7-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा किया गया है।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

क्षेत्रीय न्यायिक अधिकारी
मुरादाबाद

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक, निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रमोदरी अभाग
मुरादाबाद

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>
To: subadmin@hpcl.co.in
Cc: monitoring-fc@nic.in

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. FPI/UP/Approach/153459/2022
2. Proposal Name Proposed HPCL Retail Outlet on Delhi-Bareilly-Lucknow Road NH-24 (City Road) in Km. No. 163 (CH. No. 162.863, LHS) At Gata No-112Mi, 113Mi & 114/1Mi, Village:- Mustafabad Mustakam, Tehsil-Moradabad, District:- Moradabad
3. Category of the Proposal Approach Access
4. Date of Submission 14/03/2022
5. Name of the Applicant with Contact Details
Name Nitin Srivastava
Mobile No. 9411070220
State Uttar Pradesh
District Meerut
Pincode 250103
6. Area Applied (ha.) 0.065918

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar Pradesh on 14/03/2022.

1. Proposal No. FPI/UP/Approach/153459/2022
2. Proposal Name Proposed HPCL Retail Outlet on Delhi-Bareilly-Lucknow Road NH-24 (City Road) in Km. No. 163 (CH. No. 162.863, LHS) At Gata No-112Mi, 113Mi & 114/1Mi, Village:- Mustafabad Mustakam, Tehsil-Moradabad, District:- Moradabad
3. Category of the Proposal Approach Access
4. Date of Submission 14/03/2022
5. Name of the User Agency with Contact Details
Name Nitin Srivastava
Mobile No. 9411070220
State Uttar Pradesh
District Meerut
Pincode 250103
6. Area Applied (ha.) 0.065918

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रभागीय निदेशक
पार्यावरणिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



(System Administrator)

भाग-5

(इस वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

18. राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

वैकल्पिक भूमि संबन्धित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (पहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु कार्य प्रस्तावित है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित भूमि की माँग न्यूनतम है।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का
स्वामित्व/मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (षहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग/एन०एच०ए०आई० का है तथा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्त मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा। अपेक्षित संरक्षित क्षेत्र/भूमि की माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ

Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभाषीय निदेशक/निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी बटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित "टास्क फोर्स" की संस्तुति हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ को मान्य होगी।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ

Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक, जिला
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रभाग
मुरादाबाद।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ को मान्य होगी।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।
मुरादाबाद

वन भूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार होने संबन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन की गणना प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही की गयी है।


(नितिन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक, लोक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, भाग
मुरादाबाद


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या के विवरण संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पतन से आस-पास के ग्रामों एवं मार्गों से आने जाने वाली जनसंख्या आदि लाभान्वित होगी।


(नितिन श्रीवास्तव)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।
नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक-वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक-वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक- द्वितीय/यू०
पी०/ 1149/आर०ओ०सी०/2012/एफ०सी०, दिनांक 13-01-2012
में उल्लिखित बिन्दु सं०-02 व 03 से सम्बन्धित सूचना।

प्रस्तावक विभाग हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (षहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) बाधक है। प्रस्तावित स्थल का छायाचित्र निम्नानुसार है:-



क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-18-03-2010 में
उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँधी पट्टरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन हेतु कार्य प्रस्तावित है। गैर वानिकी कार्य का अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 द्वारा बिन्दुवार दिशा निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

(नितिन श्रीवास्तव)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

मेरठ।

Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जिला मुरादाबाद की प्रभाग
मुरादाबाद

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

दस्तावेज संख्या: UPFS/2022/45392/MRB/MORADABAD/644/CFO

दिनांक: 01-03-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मालिक **NAZIYA PARVEEN** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **112 MIN 113, 114-1 Kashipur Tiraha, RAMPUR ROAD, MORADABAD** तहसील - **MORADABAD** प्लॉट एरिया **521.27 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **23.31** (वर्गमीटर), ब्लाक की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
DANIA FUEL PUMP	1	0	3.0 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **NAZIYA PARVEEN** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0वी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0वी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Storage** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पर्याप्त भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **NAZIYA PARVEEN** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSO की आख्या के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल तक अग्निशमन वाहन आण्डा सकते हैं। उक्त के लाइसेन्स निर्गत सत्ताप्राधिकारी के शर्तों का पेट्रोलियम एक्ट 1934 एण्ड रिलेटिड तत्समय पेट्रोलियम रूल्स 2002 व oisd 225 के प्राविधानों अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी आवेदक द्वारा उक्त का अनुपालन अधिकृत लाइसेन्स निर्गत कर्ता सत्ताप्राधिकारी / अधिकृत अधिकारी से अपेक्षित होगा। 1- abc type fire extinguisher 09 kg, 5 अदद, 2. co2 fire extinguisher 4.5 kg. 03 अदद, 3. fire extinguisher foam 09 ltr 04 अदद, 4. foam trolley क्षमता 45 लीटर. 02 अदद, 5. फ्लैण्ड रिजर्व स्टोर 100 घनफुट, 6- बेल्ट 03 अदद, 7- पंपूमपात निषेध बोर्ड में 8. फ्लैण्ड बकेट्स 10 अदद, निर्माण कार्य अपलोड मानचित्र के अनुसार वांछनीय होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तावित अशिलेखों, सचनार्थों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र अग्नि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

Note : FSO की आख्या के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल तक अग्निशमन वाहन आण्डा सकते हैं। उक्त के लाइसेन्स निर्गत सत्ताप्राधिकारी के शर्तों का पेट्रोलियम एक्ट 1934 एण्ड रिलेटिड तत्समय पेट्रोलियम रूल्स 2002 व oisd 225 के प्राविधानों अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था वांछनीय होगी आवेदक द्वारा उक्त का अनुपालन अधिकृत लाइसेन्स निर्गत कर्ता सत्ताप्राधिकारी / अधिकृत अधिकारी से अपेक्षित होगा। 1- abc type fire extinguisher 09 kg, 5 अदद, 2. co2 fire extinguisher 4.5 kg. 03 अदद, 3. fire extinguisher foam 09 ltr 04 अदद, 4. foam trolley क्षमता 45 लीटर. 02 अदद, 5. फ्लैण्ड रिजर्व स्टोर 100 घनफुट, 6- बेल्ट 03 अदद, 7- पंपूमपात निषेध बोर्ड में 8. फ्लैण्ड बकेट्स 10 अदद, निर्माण कार्य अपलोड मानचित्र के अनुसार वांछनीय होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[129400282D747A34F32663F67D7C889B7FE3F55B]

12-03-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-03-2022
स्थान : MORADABAD

प्रमाणित निवेशक
सांसाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

निवेशक श्रीवाराज
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त गठित न्यायकारी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
रेगुलर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Retail Regional Office

Print Back



भारत सरकार

Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)

Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

63/4, ए-विंग, दूसरा तल, केंद्रालय (सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स), संजय प्लेस

आगरा- 282002

63/4, A-Wing, 11nd floor, Kendralaya (CGO Complex), Sanjay Place,

Agra - 282002

E-mail: jtcceagra@explosives.gov.in

Phone/Fax No: 0562 - 2523244, 2523266

अनुमोदन संख्या /Prior Approval No: A/P/CC/UP/14/13655
(36817)

दिनांक /Dated: 19/02/2021

M/s. HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED,
MEERUT RETAIL REGIONAL OFFICE,,
495/1, 11ND FLOOR RPG TOWER
MEERUT,
Meerut,
Taluka: Meerut,
District: MEERUT
State: Uttar Pradesh
PIN: 250004

Khasra No. 112 MIN, 113 MIN, 114/1 MIN, VILLAGE-MUSTAFABAD MUSTAKAM ON RAMPUR TO
MORADABAD ROAD, VIII-MUSTAFABAD MUSTAKAM, Moradabad, Taluka: Moradabad, District:
MORADABAD, State: Uttar Pradesh, PIN: 999999 में प्रस्तावित पेट्रोलियम वर्ग A,B Retail Outlet ।

Proposed Petroleum Class A,B Retail Outlet at Khasra No. 112 MIN, 113 MIN, 114/1 MIN, VILLAGE-
MUSTAFABAD MUSTAKAM ON RAMPUR TO MORADABAD ROAD, VIII-MUSTAFABAD MUSTAKAM,
Moradabad, Taluka: Moradabad, District: MORADABAD, State: Uttar Pradesh, PIN: 999999

मुन्नाया आपके उपर्युक्त विषय से संबंधित पत्र संख्या OIN707614 दिनांक 05/02/2021 का संदर्भ ग्रहण करें ।
Please refer to your letter No. OIN707614 dated 05/02/2021 on the subject.

संदर्भित पत्र के साथ अर्पित तय्युक्तन अधिष्ठापन का साइट (स्वात/ले.आउट, आदि दर्शाता Drawing(s) nos HPC/EXP
/APP/MRT/112 dated 05/02/2021 HPC/EXP/APP/MRT/112 dated 05/02/2021 को अनुमोदित किया जाता है तथा
प्रत्येक आरेखण को एक साथ निहित प्रमाणित कर लौटाए जा रही है ।

The Drawing(s) nos HPC/EXP/APP/MRT/112 dated 05/02/2021 HPC/EXP/APP/MRT/112 dated 05/02/2021
showing the site/ground construction details forwarded with your letter under reference is approved and a
copy of the same is returned herewith duly signed in token of approval

निमित्त निमित्त
Nitin Sharma
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त अधिवक्ता
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरुट रेटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक चणिकी प्रभाग
मुरादाबाद

अनुमोदित स्थान के अनुसार निर्माण होने के पश्चात पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत प्ररूप XIV में अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु कृपया निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रेषित करें।

On completion of the construction as shown in the approved plan please forward the following documents for grant of licence in Form XIV of the Petroleum Rules, 2002.

1. प्ररूप IX (संलग्न) में विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन।
Form IX (enclosed) duly filled in and signed.
2. पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध है, भुगतान सुविधा के माध्यम से 10000/- (प्रति वर्ष - अधिकतम 10 वर्ष तक) का लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है।
A license fee of Rs. 10000/- (per year - maximum upto 10 years) to be submitted online through payment facility available on online application portal under petroleum Rules, 2002.
3. अनुमोदित नक्शे का तीन प्रतियाँ।
Three copies of the approved drawings.
4. सुरक्षा परीक्षण निष्पत्ति, नागपुर द्वारा अनुमोदित सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी पेट्रोलियम नियम 2002 (संलग्न) के अंतर्गत नियम 130 और 126 में उल्लिखित सभी और टेक टेक प्रमाण।
Safety and Test Certificate as required under rule 130 and 126 of the Petroleum Rules, 2002 (enclosed) issued by Competent person approved by CCE, Nagpur and generated through On-line Competent Person Module available at <http://PESO.gov.in>
5. जिला अधिकारी से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की मूल प्रतियाँ तथा उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं कार्यालय की मोहर लगा हुआ साईट प्लान।
Original copy of 'No Objection Certificate' from the District Authority together with site plan duly endorsed by him with his office seal thereon.
6. इस कार्यालय से होने वाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति(यों) के नमूना हस्ताक्षर।
Specimen signature(s) of the person(s) authorised to sign the correspondence addressed to this office.
7. अनुमोदित स्थान के अनुसार कार्य के पूर्णता की पुष्टि।
A confirmation to the effect that all work as per approved drawings has been fully completed by you in all respects.
8. अभिलेखों के लिए गए पेट्रोल पंप के रंगीन फोटोग्राफ का एक सेट।
One set of colour photographs of the petrol pump taken from different angles.

केंद्र नं. 619/ई) दिनांक 05/06/2000 द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आदेश लागू - 'सोल्वेंट, रैफिनेट तथा स्लॉप (अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की रोकथाम) अधिनियम/प्रवचन का कृपया पालन करें।

Please follow the requirement/provision of "Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage & Prevention of use in Automobiles)" Order 2000 notified by Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide G.S.R. 519(E) dated 05/06/2000.

कृपया प्रतियोग में जमाने सभी पत्राचार में इस कार्यालय की फाइल संख्या A/P/CC/UP/14/13655 (P498817) का संदर्भ दें।

Please quote this office file No. A/P/CC/UP/14/13655 (P498817) in all your future correspondences.

निरास, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/अनुमति प्राप्त करने से या पश्चात्ताप अन्य विधियों से प्राप्त नहीं होती है।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

निधिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित अधिवक्ता
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

प्रभागीय निदेशक
सांसाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
Yours faithfully,

(डा.ए.पी.सिंह)
(Dr. A.P. Singh)
उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Dy. Chief Controller of Explosives
कुल संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
For Jt. Chief Controller of Explosives
आगरा/Agra

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें।
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website: <http://peso.gov.in>)
Note:-This is system generated document does not require signature.

ध्यान दें: This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PFSDO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.


(सख्त)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बागिकी प्रभाग
मुरादाबाद


नितिन श्रिवस्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नियुक्त गति न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duty Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मोरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Morar Retail Regional Office

20/12/2021 12:20:05